

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन**  
 (जुलाई, 2015 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक 31.07.2015 के आश्वासन)

**स्कूल शिक्षा विभाग**

**दिनांक 31.07.2015**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
811	परि.अता.प्र.सं.03 (क्र.110) दि.31.07.2015 (श्री सचिन यादव)	खरगौन जिले की विधान सभा क्षेत्र कसरावद अंतर्गत शासकीय हाईस्कूल एवं उ.मा.वि. में प्राचार्य, व्याख्याता, शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना।	प्राचार्य व्याख्याता शिक्षकों के रिक्त पदों पर पदोन्नति से भरे जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। संविदा शाला शिक्षक भर्ती एवं पदोन्नति से पद पूर्ति की प्रक्रिया प्रचलन में है।		
812	परि.अता.प्र.सं.53 (क्र.1857) दि.31.07.2015 (श्री नथनशाह कवरेती)	जिला शिक्षा अधिकारी, भोपाल के आदेश दिनांक 10.06.2015 द्वारा शिक्षक(विज्ञान) के स्वेच्छिक/युक्तियुक्तकरण नीति के तहत किए गए स्थानान्तरण की शिकायत की जांच एवं दोषियों पर कार्यवाही की जाना।	परीक्षण कराया जा रहा है। परीक्षण के उपरांत शासन की एवं युक्तियुक्तकरण नीति अंतर्गत प्रकरण का नियमानुसार निराकरण संभव हो सकेगा।		
813	परि.अता.प्र.सं.74 (क्र.2043) दि.31.07.2015 (श्री कल सिंह भाबर)	झाबुआ जिले की समस्त शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण नहीं करने वाली शाखा प्रबंधन समिति के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	कार्य पूर्ण नहीं किये जाने वाली शाला प्रबंधन समिति के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।		
814	परि.अता.प्र.सं.79 (क्र.2109) दि.31.07.2015 (श्री प्रताप सिंह)	प्रदेश के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ अपात्र प्रभारी अधिकारियों/कर्मचारियों की जांच करा कर उन्हें हटाया जाना।	परीक्षण किया जा रहा है।		
815	परि.अता.प्र.सं.84 (क्र.2174) दि.31.07.2015 (श्री महेश राय)	सागर जिले के बीना विधान सभा क्षेत्र के हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी स्कूलों में नियमित प्राचार्यों की पदस्थापना की जाना।	पदांकन की कार्यवाही प्रचलन में है।		
816	परि.अता.प्र.सं.87 (क्र.2195) दि.31.07.2015 (श्री देवेन्द्र वर्मा)	खण्डवा जिले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम का निजी स्कूल संचालकों द्वारा उल्लंघन किये जाने की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	(1) प्रकरण की जांच कराई जा रही है। (2) अनियमितता पाए जाने पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम में वर्णित प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जाएगी।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन**  
 (जुलाई, 2015 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक 31.07.2015 के आश्वासन)

**स्कूल शिक्षा विभाग**

**दिनांक 31.07.2015**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
817	परि.अता.प्र.सं.144 (क्र.2946) दि.31.07.2015 (श्री कमलेश्वर पटेल)	सीधी जिले में वर्ष 2015 में घोषित किये गये अतिशेष शिक्षकों की पदस्थी में युक्तियुक्तकरण नीति का उल्लंघन किये जाने पर आपत्ति लेने वाले शिक्षकों के प्रकरण का निराकरण किया जाना।	03 सहायक शिक्षकों ने आपत्ति ली है, शेष कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
818	अता.प्र.सं.13 (क्र.1084) दि.31.07.2015 (श्री नीलेश अवस्थी)	जबलपुर जिले की पाटन विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित शासकीय शालाओं में शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना।	संविदा शाला शिक्षक भर्ती एवं पदोन्नति से पद पूर्ति की जायेगी।		
819	अता.प्र.सं.17 (क्र.1328) दि.31.07.2015 (श्रीमती नंदनी मरावी)	जबलपुर जिले के सिहोरा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत कुरों के ग्राम महगवां में प्राथमिक शाला भवन का निर्माण कार्य कराया जाना।	निविदा प्रक्रिया प्रचलन में है। निविदा स्वीकृति उपरांत कार्य कराया जावेगा।		
820	अता.प्र.सं.20 (क्र.1389) दि.31.07.2015 (श्री सूबेदार सिंह रजौधा)	मुरैना जिला के जिला शिक्षा अधिकारी एवं ब्लाक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में कई वर्षों से पदस्थ लिपिकों को अन्यत्र पदस्थापना की जाना।	कई वर्षों से एक ही कार्यालय में पदस्थ लिपिकों के अन्यत्र पदस्थ करने की कार्यवाही पृथक से प्रचलित है।		
821	अता.प्र.सं.29 (क्र.1648) दि.31.07.2015 (श्री संजय पाठक)	कटनी जिले में युक्तियुक्तकरण नीति 2015 का उल्लंघन किये जाने की प्रश्नकर्ता व अन्य संगठनों द्वारा की गई शिकायत/पत्राचार में उल्लेखित बिन्दुओं की जांच एवं दोषियों पर कार्यवाही की जाना।	अतिशेष की कार्यवाही हेतु तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया। जांच समिति के जांच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही निर्भर है।		
822	अता.प्र.सं.64 (क्र.2102) दि.31.07.2015 (श्री हरदीप सिंह डंग)	प्रदेश की शिक्षा गारंटी शालाओं एवं वैकल्पिक विद्यालयों के गुरुजियों को मा.उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के आदेश/निर्णय के पालन में वर्ष 2010 से 2015 तक एरियर्स एवं अध्यापक संवर्ग के समान वेतन का भुगतान किया जाना।	प्रकरण परीक्षण प्रक्रिया में होने से कार्यवाही गतिशील है।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन**  
 (जुलाई, 2015 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक 31.07.2015 के आश्वासन)

**स्कूल शिक्षा विभाग**

**दिनांक 31.07.2015**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
823	अता.प्र.सं.88 (क्र.2410) दि.31.07.2015 (कुंवर सौरभ सिंह)	प्रदेश में एरिया एज्यूकेशन आफिसर की भर्ती परीक्षा 2013 के संबंध में मा.उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा दिए गए निर्णयानुसार कार्यवाही की जाना।	प्रक्रिया प्रचलन में है।		
824	अता.प्र.सं.113 (क्र.2786) दि.31.07.2015 (डॉ.रामकिशोर दोगने)	माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल के कर्मचारी श्री सुरेश तिवारी सहायक ग्रेड-3 द्वारा निजी स्कूलों की नवीन मान्यता एवं मान्यता वृद्धि में अनियमितता किये जाने की शिकायत की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना।	संबंधित के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई है, जो वर्तमान में प्रचलन में है।		
825	अता.प्र.सं.140 (क्र.3093) दि.31.07.2015 (एड.सत्यप्रकाश सखवार)	वर्ष 1982-83 के पूर्व एवं वर्ष 1994-95 के बाद नियुक्त उप शिक्षक, सहायक शिक्षक तथा शिक्षकों को नियुक्ति दिनांक से ही पूर्ण वेतनमान मय एरियर के प्रदान किये जाने हेतु मा.सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.02.2015 को दिये गये निर्णय का पालन किया जाना।	विधिक अभिमत प्राप्त किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।		
826	अता.प्र.सं.151 (क्र.3145) दि.31.07.2015 (श्रीमती ममता मीना)	गुना जिले में हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूलों में पदस्थ सहायक अध्यापकों की पदोन्नति किया जाना।	पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
827	अता.प्र.सं.154 (क्र.3161) दि.31.07.2015 (श्रीमती ललिता यादव)	छतरपुर जिले में भवन विहीन शाला भवनों का निर्माण कार्य समय-सीमा में कराया जाना।	इस वर्ष राशि प्राप्त हो चुकी है, निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन**  
 (जुलाई, 2015 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक 31.07.2015 के आश्वासन)

स्कूल शिक्षा विभाग

दिनांक 31.07.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
828	अता.प्र.सं.157 (क्र.3177) दि.31.07.2015 (श्रीमती शीला त्यागी)	ता.प.क्र. 780 उत्तर दिनांक 18.07.2014 के संदर्भ में संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार समय-सीमा में कार्यवाही की जाना।	(1) श्री शिवलाल अहिरवार, प्रधानाध्यापक को निलंबन उपरांत आरोप पत्रादि जारी कर विभागीय जांच संस्थित की गई है। जांच प्रक्रिया पूर्ण होने पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय संभव हो सकेगा। (2) जांच प्रक्रियाधीन है। जांच प्रतिवेदन के निष्कर्षों पर ही निर्णय संभव हो सकेगा।		
829	अता.प्र.सं.165 (क्र.3216) दि.31.07.2015 (श्री हर्ष यादव)	वर्ष 2013-14 व 2014-15 में सागर जिले के वंचित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति राशि उपलब्ध कराई जाना।	छात्रवृत्ति राशि संबंधित छात्रों के सही एकाउन्ट नम्बर की जानकारी प्राप्त कर वितरण किए जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन**  
 (जुलाई, 2015 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक 31.07.2015 के आश्वासन)

**लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**

**दिनांक 31.07.2015**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
830	परि.अता.प्र.सं.09 (क्र.266) दि.31.07.2015 (श्री यशपाल सिंह सिसौदिया)	जिला आगर मालवा में ट्रामा सेंटर की शीघ्र स्वीकृति दी जाना।	जिला आगर-मालवा में ट्रामा सेंटर स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में है।		
831	परि.अता.प्र.सं.75 (क्र.2058) दि.31.07.2015 (श्री नारायण सिंह पंवार)	(1) राजगढ़ जिले के नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुठालिया का भवन उपयोगार्थ विद्युत कनेक्शन लेने की कार्यवाही शीघ्र पूरी की जाना। (2) बाउण्ड्रीवाल एवं आवासीय भवनों की तकनीकी स्वीकृति शीघ्र दी जाना।	(1) विद्युत कनेक्शन लेने की कार्यवाही प्रचलन में है। (2) तकनीकी स्वीकृति जारी करने की कार्यवाही प्रचलन में है।		
832	परि.अता.प्र.सं.78 (क्र.2092) दि.31.07.2015 (श्री हरदीप सिंह डंग)	मंदसौर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुवासरा में एक्स-रे मशीन शीघ्र उपलब्ध कराई जाना।	एक्स-रे मशीन यथासंभव उपलब्ध कराई जावेगी।		
833	परि.अता.प्र.सं.82 (क्र.2157) दि.31.07.2015 (प्रो.संजीव छोटेलाल उईके)	(1) मा.मुख्यमंत्री जी की घोषणा के पालन में प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में तकनीकी स्वास्थ्य परीक्षण मशीने उपलब्ध कराई जाना। (2) जिला चिकित्सालय मण्डला में बंद पड़ी सीटी स्कैन मशीन को शीघ्र ठीक कराया जाना।	(1) कार्यवाही प्रचलन में है। (2) सुधार कार्य कराया जा रहा है।		
834	परि.अता.प्र.सं.95 (क्र.2332) दि.31.07.2015 (श्री दुर्गालाल विजय)	श्योपुर जिला चिकित्सालय के ट्रामा सेंटर में स्वीकृत स्टॉफ एवं चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना।	(1) पदों के स्वीकृति संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (2) चिकित्सकों की भर्ती के कार्यवाही प्रलचन में है।		
835	परि.अता.प्र.सं.108 (क्र.2489) दि.31.07.2015 (श्री सूबेदार सिंह रजौधा)	मुरैना जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलारस के भवन निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कराया जाना।	भवन का सर्वेक्षण कराने के उपरांत आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जावेगी।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन**  
(जुलाई, 2015 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक 31.07.2015 के आश्वासन)

**लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**

**दिनांक 31.07.2015**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
836	परि.अता.प्र.सं.120 (क्र.2614) दि.31.07.2015 (पं.रमेश दुबे)	छिन्दवाड़ा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौरई एवं अमरवाड़ा में वर्ष 2010-11 से प्रश्न दिनांक तक रोगी कल्याण समिति की राशि में अनियमितता की जांच समय-सीमा में पूर्ण कराई जाना एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	संभागीय संयुक्त संचालक जबलपुर को प्रकरण की जांच के निर्देश दिये गये हैं।		
837	परि.अता.प्र.सं.137 (क्र.2890) दि.31.07.2015 (श्री हर्ष यादव)	प्रदेश के समस्त जिला चिकित्सालयों में शवों को सुरक्षित रखे जाने के लिए मॉर्चरी रेफ्रिजरेटर उपलब्ध कराया जाना।	जिला स्तर पर मॉर्चरी रेफ्रिजरेटर स्थापित करने की व्यवस्था की कार्यवाही प्रचलन में है।		
838	परि.अता.प्र.सं.145 (क्र.2962) दि.31.07.2015 (श्री रामसिंह यादव)	शिवपुरी जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बदरवास के भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाना।	कार्यवाही प्रचलन में है।		
839	परि.अता.प्र.सं.178 (क्र.3242) दि.31.07.2015 (श्री जालम सिंह पटेल)	नरसिंहपुर सी.एम.एच.ओ. द्वारा शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा की गई शिकायत की जांच में जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना।	जांच प्रतिवेदन विभाग के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही हेतु संचालनालय को प्राप्त हुआ जिस पर कार्यवाही प्रचलन में है।		
840	अता.प्र.सं.09 (क्र.849) दि.31.07.2015 (श्री चम्पालाल देवड़ा)	रायसेन जिले में नसबंदी ऑपरेशन के फेल हो जाने के कारण शासन के नियमानुसार आर्थिक सहायता के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाना।	विभागीय स्तर पर कार्यवाही प्रचलन में है। निर्णय उपरांत त्वरित कार्यवाही करते हुये यथाशीघ्र निराकरण किया जा सकेगा।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन**  
(जुलाई, 2015 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक 31.07.2015 के आश्वासन)

**लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**

**दिनांक 31.07.2015**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>841</b>	अता.प्र.सं.25 (क्र.1577) दि.31.07.2015 (श्री सुदर्शन गुप्ता)	प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कार्यरत स्टाफ नर्सों को तृतीय समयमान वेतन का लाभ दिया जाना।	तृतीय समयमान वेतन स्वीकृत किया गया है। जिस पर कार्यवाही प्रचलन में है।		
<b>842</b>	अता.प्र.सं.98 (क्र.2625) दि.31.07.2015 (पं.रमेश दुबे)	छिन्दवाड़ा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौरई में शिशु को इंजेक्शन लगाये जाने के बाद मृत्यु हो जाने की जांच एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही की जाना।	श्रीमती अनसुईया धुर्वे, स्टॉफ नर्स के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु लिखा गया है। अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी जानकारी प्राप्त होने पर शीघ्र अवगत कराया जावेगा।		
<b>843</b>	अता.प्र.सं.120 (क्र.2839) दि.31.07.2015 (चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी)	जिला चिकित्सालय, पन्ना एवं उमरिया में कामथेन सिक्युरिटी सर्विस को वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 में साफ-सफाई के ठेका में अनुबंध/शर्तोंका उल्लंघन करने की प्रचलित जांच एवं जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें रीवा एवं सागर की रिपोर्ट प्राप्त होने पर एवं दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।		
<b>844</b>	अता.प्र.सं.149 (क्र.3129) दि.31.07.2015 (श्रीमती संगीता चारेल)	(1) रतलाम जिले की सैलाना विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक विशेषज्ञ के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना। (2) नसबंदी ऑपरेशन के दौरान 02 महिलाओं की हुई मृत्यु की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	(1) वर्तमान में कार्यवाही प्रचलन में है। (2) मृत्यु की विभागीय स्तर से जांच की कार्यवाही प्रचलन में है। दोषी पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन**  
(जुलाई, 2015 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक 31.07.2015 के आश्वासन)

**आदिम जाति कल्याण विभाग**

**दिनांक 31.07.2015**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
845	परि.अता.प्र.सं.57 (क्र.1911) दि.31.07.2015 (श्री वेलसिंह भूरिया)	धार जिले की विधान सभा क्षेत्र सरदारपुर वि.स.क्षेत्र अंतर्गत विभाग द्वारा संचालित शालाओं में प्राचार्य के स्वीकृत रिक्त पदों की पूर्ति की जाना।	प्राचार्य के रिक्त पदों की पूर्ति पदोन्नति से शासन स्तर से की जायेगी।		
846	परि.अता.प्र.सं.103 (क्र.2425) दि.31.07.2015 (श्री जयवर्द्धन सिंह)	कन्या आदिवासी छात्रावास जामनेर के अपूर्ण भवन का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कराया जाना।	निविदा प्रक्रिया प्रचलित है। निविदा प्रक्रिया उपरांत तत्काल कार्य प्रारंभ कराया जावेगा।		
847	परि.अता.प्र.सं.113 (क्र.2511) दि.31.07.2015 (श्री दिलीप सिंह शेखावत)	उज्जैन जिले की नागदा-खाचरौद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के कृषकों के डी.पी. लगाने हेतु लंबित आवेदन पत्रों का निराकरण किया जाना।	अनुसूचित जाति के लंबित आवेदन पत्रों पर वर्ष 2015-16 में आवंटन प्राप्त होने के उपरांत किया जावेगा।		
848	परि.अता.प्र.सं.116 (क्र.2560) दि.31.07.2015 (श्री ओम प्रकाश धुर्वे)	अनूपपुर जिला अंतर्गत प्रभारी प्राचार्य विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी जैतहरी द्वारा सहायक अध्यापक की अनियमित प्रतिनियुक्ति किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों पर कार्यवाही की जाना।	प्रकरण की जांच कलेक्टर अनूपपुर से कराई जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।		
849	परि.अता.प्र.सं.127 (क्र.2721) दि.31.07.2015 (श्री संजय शाह मकड़ाई)	(1) हरदा जिले में निर्माणाधीन छात्रावासों का अपूर्ण कार्य को शीघ्र पूर्ण कराया जाना। (2) तहसील सिराली के छात्रावास का आधिपत्य प्राप्त करने की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण की जाना।	(1) समस्त कार्य फिनिशिंग स्तर पर है, जिन्हें शीघ्र पूर्ण करा लिया जावेगा। (2) आधिपत्य की कार्यवाही प्रचलन में है।		
850	परि.अता.प्र.सं.152 (क्र.3014) दि.31.07.2015 (श्री फुन्देलाल सिंह मार्को)	जिला अनूपपुर अंतर्गत उ.मा.वि. बालक कोतमा परिसर स्थित विभागीय आवासीय भवनों की पक्की छत निर्माण कराये जाने हेतु शीघ्र राशि स्वीकृत कर भवन की छत निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाना।	सक्षम स्तर से तकनीकी प्रतिवेदन चाहा गया है। जिस कारण राशि स्वीकृत नहीं की गई है। प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन**  
 (जुलाई, 2015 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक 31.07.2015 के आश्वासन)

**आदिम जाति कल्याण विभाग**

**दिनांक 31.07.2015**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
851	परि.अता.प्र.सं.167 (क्र.3182) दि.31.07.2015 (श्री तरूण भनोत)	जबलपुर मुख्यालय के अभियांत्रिकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण में की गई अनियमितता की जांच एवं जांच निष्कर्षों के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	(1) छात्रवृत्ति के संबंध में जिला स्तर पर जांच दल गठित किया गया है। जांच उपरांत तथ्यों के आधार पर आगामी कार्यवाही की जायेगी। (2) जांच कराई जा रही है। जांच उपरांत निष्कर्षों के आधार पर आगामी कार्यवाही की जायेगी।		
852	अता.प्र.सं.52 (क्र.1877) दि.31.07.2015 (श्रीमती झूमा सोलंकी)	प्रदेश में विभाग द्वारा संचालित कन्या छात्रवासों में चौकीदारों के रहने के लिए आवास गृह बनाया जाना।	कन्या छात्रावासों में चौकीदार आवास गृह का प्रावधान किया जा रहा है।		
853	अता.प्र.सं.77 (क्र.2296) दि.31.07.2015 (श्रीमती प्रमिला सिंह)	प्रदेश में एकीकृत आदिवासी विकास(वृहत) परियोजना के अंतर्गत आदिवासी विकास के पदों पर पदस्थ पशु चिकित्सकों को उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त कर नियमित विभागीय अधिकारियों की पदस्थापना की जाना।	नियमित पदोन्नति पश्चात् आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।		
854	अता.प्र.सं.78 (क्र.2309) दि.31.07.2015 (श्री तरूण भनोत)	विभाग के तकनीकी निर्माण उपखण्डों के कार्य क्षेत्र का विभाजन कर नये संभाग एवं जिलों को निर्माण उपखण्डों में शामिल किया जाना।	परीक्षण उपरांत आवश्यकता अनुरूप विचार किया जा सकेगा।		
855	अता.प्र.सं.110 (क्र.2752) दि.31.07.2015 (श्री चम्पालाल देवड़ा)	वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में जिला रायसेन एवं देवास के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान निश्चित समय-सीमा में किया जाना।	छात्रवृत्ति भुगतान की कार्यवाही प्रचलन में है।		
856	अता.प्र.सं.171 (क्र.3248) दि.31.07.2015 (डॉ.मोहन यादव)	आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत अपर संचालक के स्वीकृत रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र किया जाना।	अपर संचालक के 04 पद रिक्त है, उनके भरने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन**  
 (जुलाई, 2015 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक 31.07.2015 के आश्वासन)

**अनुसूचित जाति कल्याण विभाग**

**दिनांक 31.07.2015**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>857</b>	परि.अता.प्र.सं.11 (क्र.413) दि.31.07.2015 (श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह)	जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग, भिण्ड द्वारा माह जनवरी 2013 से 30 जून 2015 तक अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों में नियम विरुद्ध कराये गये विकास/निर्माण कार्यों की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना ।	भिण्ड जिले में अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना नियम 2014 के प्रावधानों का पालन करने के संबंध में जांच कराई जावेगी ।		
<b>858</b>	अता.प्र.सं.39 (क्र.1758) दि.31.07.2015 (श्री गोपाल सिंह चौहान)	जिला अशोक नगर विकासखण्ड ईसागढ़ के ग्राम कदवाया में अम्बेडकर मांगलिक भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना ।	भूमि चयन की कार्यवाही प्रचलन में है ।		
<b>859</b>	अता.प्र.सं.169 (क्र.3245) दि.31.07.2015 (श्री जालम सिंह पटेल)	प्रभारी जिला संयोजक नरसिंहपुर द्वारा अनियमितताओं के संबंध में कलेक्टर नरसिंहपुर को की गई शिकायत में उल्लेखित बिन्दुओं की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जाना ।	शिकायत की जांच हेतु डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय टीम गठित कर दि. 15.07.2015 को आदेश जारी किया गया है ।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन**  
 (जुलाई, 2015 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक 31.07.2015 के आश्वासन)

**पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग**

**दिनांक 31.07.2015**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
860	परि.अता.प्र.सं.142 (क्र.2925) दि.31.07.2015 (श्री जितेन्द्र गेहलोत)	प्रदेश के समस्त जिलों में नियमानुसार 15 सूत्रीय कार्यक्रम अंतर्गत राज्य एवं जिला स्तरीय समितियों का गठन किया जाना।	कुछ जिलों में समितियों के पुनर्गठन की कार्यवाही जारी है।		
861	अता.प्र.सं.107 (क्र.2728) दि.31.07.2015 (श्री वेलसिंह भूरिया)	धार जिले की विधान सभा क्षेत्र सरदारपुर में निवासरत् मारू कुमावत जाति वर्ग के उम्मीदवारों को पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र प्रदाय किया जाना।	मामला विचाराधीन है।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन**  
 (जुलाई, 2015 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक 31.07.2015 के आश्वासन)

**चिकित्सा शिक्षा विभाग**

**दिनांक 31.07.2015**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>862</b>	परि.अता.प्र.सं.123 (क्र.2667) दि.31.07.2015 (श्रीमती ऊषा चौधरी)	प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ द्वारा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में पदोन्नति/नियुक्तियों एवं नियमितीकरण में की गई अनियमितता की शिकायतों की जांच कराई जाना।	शिकायत की जांच अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल द्वारा कराई जा रही है।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन**  
(जुलाई, 2015 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक 31.07.2015 के आश्वासन)

संसदीय कार्य विभाग

दिनांक 31.07.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
863	अता.प्र.सं.114 (क्र.2797) दि.31.07.2015 (श्री रामपाल सिंह)	प्रदेश के मा.विधायकगणों को उनके विधान सभा क्षेत्र एवं जिला मुख्यालयों में शासकीय आवास गृह की सुविधा उपलब्ध कराया जाना ।	माननीय सदस्यों एवं पूर्व सदस्यों के वेतन-भत्तों के पुनरीक्षण के संबंध में गठित समिति ने अपने प्रतिवेदन में तत्संबंधी अनुशंसा की है, जिस पर विचारोपरान्त निर्णय लिया जा सकेगा ।		